

कार्यालय आदेश सं. 66/2017

कार्मिक अधिकारी वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे के पत्र सं. का/239/अनु./विविध पत्राचार /2013/दिनांक 04-03-16 के अनुसार श्री श बहादुर सिंह पुत्र राम विलास सिंह विश्रेणी ग्रेड पे 2800 हेतु चयनित है एवं प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार सस्टेमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण घोषित किये गये हैं को वमंपरिप्रबंधक /वाराणसी के आदेशानुसार देवरिया सदर स्टेशन पर नियुक्ति दी जाती है। प्रशिक्षण अवधि को जोड़ते हुये कर्मचारी का वेतन निम्नवत निर्धारित किया जाता है।

क्रम सं.	नाम एवं पिता का नाम	पद	कार्यस्थल	जं.तिथि.	मेडिकल श्रेणी	नियुक्ति पर कार्यस्थल	नियुक्ति पर निर्धारित वेतन
01	श्री हरिकेश सिंह बहादुर पुत्र श्री रामविलास सिंह	सस्टेमा	देवरिया सदर	16-12-86	A-2	देवरिया सदर	35400/-

उक्त पर वमंपरिप्रबंधक /वाराणसी का अनुमोदन प्राप्त है। कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा। कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि तिथि 01-07-17 होगी। ये तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी पर लागू होने वाले नियमों एवं शर्तों पर लागू पर होगी। उर्पयुक्त अभ्यर्थी का पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है। कर्मचारी के पुलिस वेरिफिकेशन के अनुसार दण्ड से मुक्त है। रेलवे बोर्ड के पत्र सं-एफ(ई) 11-2003 पी.एन-1/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार ये नयी पेंशन योजना से शासित होंगे जो 01.01.2004 से प्रभावित है। उक्त अभ्यर्थी प्रादेशिक सेना के अनिवार्य युनिट में 07 वर्ष तथा प्रादेशिक सेना के आरक्षित वर्ग में 08 वर्ष अथवा समय-समय पर निर्धारित अन्य अवधि के लिए सैन्य सेवा में लगाये जाने के पात्र होंगे। रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई/N/G/01/90 आई.सी.आई.01 दिनांक 04-02-91 के अनुसार इनका प्रशिक्षण अवधि वेतन वृद्धि हेतु अर्हक मानी जायेगी। ये दिनांक 11-01-17 से कार्यालय आदेश जारी होने तक ड्यूटी हेतु प्रतीक्षारत रहे हैं।

उपरोक्त पर प्लेसमेंट कमेटी एवं वमंपरिप्र/वारा. का अनुमोदन प्राप्त है।



सहायक कार्मिक अधिकारी  
Ass. Personnel Officer  
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी  
N.E. Railway, Varanasi



श्री. हरिकेश सिंह बहादुर सिंह

मंडल परिचालन प्रबंधक  
वाराणसी  
दिनांक 03-05-17

सं० का/सिग/227/स्टेमा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. वमंपरिप्रबंधक मंपचप्र./वारा.।
2. कार्यालय आदेश पुस्तिका/स्टेशन अधीक्षक देवरिया सदर।
3. मु.कार्याधी/यातायात बिल/वारा.।
4. सन्बन्धित कर्मचारी/कार्याधी एमपीपी सेल/वारा.
5. मंडल मंत्री नरमू/अजा/अजजा एसो./अपिजा एसो.

सहायक कार्मिक अधिकारी  
वाराणसी।